



सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, बिना भवन, विशाखाबाद, लखनऊ -226 007

प्रेषक:

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद,
उ०प्र०।

पत्रांक: रा०प०नि०/ 3587 /2011-12

दिनांक: 18 अक्टूबर, 2011

विषय: उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली के परिप्रेक्ष्य में जनपद के सभी विद्यालयों की स्कूल डायरेक्ट्री बनाने एवं सभी विद्यालयों का डायस 2011-12 डाटा तैयार करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या-रा०प०नि०/717/2011-12 दिनांक 20 मई, 2011 एवं पत्रांक: कम्प्यूटर अनुभाग/1197/2011-12 दिनांक 20 जून, 2011 तथा पत्रांक: समीक्षा बेटक/एम.आई.एस./2677/2011-12 दिनांक 6 सितम्बर, 2011 के द्वारा जनपद के सभी विद्यालयों की स्कूल डायरेक्ट्री बनाने एवं तदनुसार सभी विद्यालयों का डायस 2011-12 तैयार करने के निर्देश दिये गये थे।


- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति वर्ष कक्षा 1-5 तक कक्षा 6-8 तक की कम्प्यूटराइज्ड शैक्षिक सांख्यिकी तैयार करायी जाती है। विगत वर्षों की शैक्षिक सांख्यिकी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कक्षा 1-5 की शैक्षिक सांख्यिकी शासकीय/परिषदीय विद्यालयों से काफी सीमा तक प्राप्त हो जाती है किन्तु मान्यता प्राप्त विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों के साथ संलग्न प्राथमिक कक्षाओं के आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण इन्डिकेटर्स ठीक प्रकार से प्रदर्शित नहीं हो पाते।
- उल्लेखनीय है कि कक्षा 6-8 की शैक्षिक सांख्यिकी में काफी गैप है क्योंकि मुख्यतः बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आंकड़े ही प्राप्त रहे हैं, जबकि काफी विद्यालय कक्षा 6-8 के मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6-8 की कक्षाओं में संचालित जिनके कोई आंकड़े प्राप्त न होने के कारण उच्च प्राथमिक विद्यालय लेवल पर अत्यधिक न्यून इन्डिकेटर्स प्राप्त होते हैं जो वास्तविकता से काफी कम होते हैं तथा प्रदेश के शैक्षिक सांख्यिकी को सही रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं।
- माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ०प्र० शासन द्वारा पत्रांक: शि०नि०(मा०)/डायस/2165/2011-12 लखनऊ, दिनांक 09 अगस्त, 2011 (छायाप्रति

संलग्न) द्वारा समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया जा चुका है। तदनुसार अपने जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक से समन्वय करके सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों का डायस डाटा (भरे हुए डाटा कैप्चर फॉर्मेट) प्राप्त करें।

5. सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नवोदय विद्यालय समिति एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उनके मान्यता प्राप्त विद्यालयों को डायस डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं (छायाप्रति संलग्न)। इन विद्यालयों को स्कूल डायरेक्ट्री में सम्मिलित करते हुए भरे हुए डाटा कैप्चर फॉर्मेट प्राप्त करें, जिन विद्यालयों द्वारा डायस डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाता है उनको अनुस्मारक पत्र प्रेषित करें, जिसकी छायाप्रति सम्बन्धित बोर्ड के मुख्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय एवं राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित करें।

उपरोक्तानुसार अविलम्ब समस्त विद्यालयों की ब्लाकवार स्कूल डायरेक्ट्री बनाते हुए समस्त विद्यालयों से डायस डाटा प्राप्त करें। उ0प्र0 निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 प्रख्यापित की गयी है जिसके परिप्रेक्ष्य में सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को डायस की सूचना निर्धारित डाटा कैप्चर फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। तदनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी विद्यालयों से वर्ष 2011-12 का डायस डाटा समयबद्ध आधार पर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। जिन विद्यालयों द्वारा वांछित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जायें उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

संलग्नक: उक्तवत्।


भवदीय,

(पार्थ सारथी-सीन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पू0सं0: रा0प0नि0/ 3587/2011-12

तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0 लखनऊ।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल के जनपदों द्वारा सभी विद्यालयों की स्कूल डायरेक्ट्री एवं डायस डाटा 2011-12 समयबद्ध आधार पर तैयार कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद उ0प्र0।


(पार्थ सारथी-सीन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

जनपदवार विद्यालयों का विवरण (स्कूल टायरेक्टरी)

जनपद का नाम-.....

	प्राथमिक (कक्षा 1-5)	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8)	प्राथमिक उच्च प्राथमिक सहित (कक्षा 1-8)	हायर सेकेण्डरी (कक्षा 1-10 एवं 6-10)	इण्टरमीडिएट (कक्षा 1-12)	इण्टरमीडिएट (कक्षा 6-12)
परिषदीय विद्यालय	जनपद में विद्यालयों की संख्या	जनपद में विद्यालयों की संख्या	जनपद में विद्यालयों की संख्या	जनपद में विद्यालयों की संख्या	जनपद में विद्यालयों की संख्या	जनपद में विद्यालयों की संख्या
लोकल बाडीय विद्यालय						
द्वैतकाल एवं सोशल वेलफेयर विभाग के विद्यालय						
सहायता प्राप्त अध्यात्मकीय विद्यालय (शैक्षिक शिक्षा विभाग) (Aided)						
सहायता प्राप्त अध्यात्मकीय विद्यालय (मध्यमिक शिक्षा विभाग) (Aided)						
सांख्यिक शिक्षा के विद्यालय						
मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त विद्यालय (शैक्षिक शिक्षा विभाग) (Recognised)						
मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त विद्यालय (मध्यमिक शिक्षा विभाग) (Recognised)						
सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त विद्यालय						
आई.सी.एस.सी. से मान्यता प्राप्त विद्यालय						
नवोदय विद्यालय						
केंद्रीय विद्यालय						
सैनिक विद्यालय						
केन्द्रीय/वी.वी.वी.						
अनुदात्तित मदरसा						
अन्य (यदि कोई है तो उसका विवरण दें)						
	योग					

हस्ताक्षर

इंटरमीडिएट/एस.टी. इंचार्ज

जनपद का नाम

हस्ताक्षर

जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी

जनपद का नाम

प्रेषक,
शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,
जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: शि0नि0(मा0)/जायस/9165/2011-12 सखनऊ, दिनांक 09 अगस्त, 2011

विषय: वर्ष 2011-12 की कम्प्यूटराड्रज्ड शैक्षिक सांख्यिकी के संबंध में।

महोदय/महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कम्प्यूटराड्रज्ड शैक्षिक सांख्यिकी (जायस) एकत्रित की जाती है। इस हेतु जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रपत्र उपस्थाकर विद्यालयों को उपलब्ध कराये जाते हैं तथा शैक्षिक सांख्यिकी की सूचना बनने की तदर्थ तिथि 30 सितम्बर, रखी जाती है।

राज्य स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक सांख्यिकी का संकलन करने पर यह तथ्य प्रकट हो आता है कि माध्यमिक विद्यालयों के साथ संलग्न प्राथमिक कक्षाओं तथा कक्षा 6-8 की सूचना के प्रपत्र माध्यमिक विद्यालयों द्वारा भरकर जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। प्रदेश में सभी प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या लगभग 18000 है जबकि वत वर्ष सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक विद्यालय सांख्यिकी (जायस) में केवल 2816 विद्यालयों की सूचना प्राप्त हुई है। फलस्वरूप कक्षा 1-8 तक की प्राथमिक शिक्षा के परिदृश्य में विद्यालयों की संख्या, शिक्षकों की संख्या तथा छात्र छात्राओं की संख्या वास्तविक से कम प्रदर्शित होती है तथा शैक्षिक इंडिकेटर्स में प्रदेश की वास्तविक समस्त परिस्थिति नहीं हो रही है।

उपर्युक्त परिदृश्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार शैक्षिक सांख्यिकी के प्रपत्र जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर लें तथा अपने स्तर से समस्त माध्यमिक विद्यालयों, (राजकीय, सहायता प्राप्त अराजकीय विद्यालय, माध्या प्रायत प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालय, आदि) को निष्पत्ति सुनिश्चित करें तथा 30 सितम्बर, 2011 के बाद सभी विद्यालयों से भरे हुए प्रपत्र जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को 31.10.2011 तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उपर्युक्त कार्य महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है। अतः उचित होगा कि इस कार्य हेतु अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को नामित कर दें। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

भवदीय
9.8.11

(सचिव मोहन)
शिक्षा निदेशक, (मा0)
उत्तर प्रदेश

पुपसं: शि0नि0(मा0)/9165/2011-12 तददिनांक
प्रतिलिपि

1. मध्यस्थीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने मण्डल में उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर अनुभवण भी करने का कष्ट करें।
2. मध्यस्थीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उ0प्र0, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया संख्या में प्रपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायें तथा समन्वय स्थापित करें।

9.8.11

(सचिव मोहन)
शिक्षा निदेशक, (मा0)
उत्तर प्रदेश

Gram: CENBOSSEC, Delhi - 92
E-Mail: cbseedi@nds.vsnl.net.in
website: www.cbse.nic.in



Phone: 22509256-58
Fax: 22515826

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Union Ministry of
Human Resource Development Govt. of India)
"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI - 110 301

Dated: 20.10.2009

CBSE/AFF/Circular No. 3/2009

Circular No.3/2009

All the Heads of Institutions affiliated with the CBSE

Subject: Providing of Schoolwise Data for District Information System of Education (DISE) and Secondary Education Management and Information System (SEMIS).

Dear Sir/Madam,

The Government of India has launched Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan to spread education and to raise quality of schools in the country.

One of the major thrust areas in implementing the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) is collection of data for Educational Management Information System (EMIS). The EMIS covers, the District Information System for Education (DISE), household survey and child tracking system. The objective of the system is to analyse data collected through various sub-systems and highlights issues that needs to be addressed in the process of planning, implementation, evaluation, monitoring and mid-course correction for SSA. DISE is an annual exercise to collect school-wise data on enrollment, physical infrastructure, teacher and student performance etc. as on a uniform date of 30th September, 2009.

The scheme of Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, also undertook an annual exercise of data collection through a programme of comprehensive Secondary Education Management and Information System (SEMIS) for planning and identification of shortfall in secondary education in the country. SEMIS data is collected through survey conducted by the agencies of various State/U.T Governments. The data to be provided for this programme shall be updated up to 30th September, 2009.

The Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India has made an observation that the data collected through District Information System of Education (DISE) for the above programmes does not figure the data pertaining to the schools affiliated to Central Board of Secondary Education. It has also been brought to our notice that the CBSE affiliated schools are not providing data concerning their schools.

In this context your attention is invited to Rule 13.3 of Affiliation Bye-Laws of CBSE which prescribe that "the school shall supply information and returns called for by the Board/State or Central Government within the prescribed time given for its furnishing to the authority concerned". Any non co-operation or default in timely submission of information asked by the State/Central Government Authorities can lead to invoking of provisions against school under rules of Affiliation Bye-Laws.

All the Heads of Institutions affiliated to CBSE are, therefore, requested to cooperate with various Government Agencies in the process of collection of information through District Information System of Education (DiSE) and Secondary Education Management and Information System (SEMIS). They shall also ensure submission of data to the authorities of DiSE and SEMIS within the stipulated time period.

With regards.

Yours faithfully,

(Joseph Emmanuel)
Deputy Secretary

Copy for kind information to:-

- ✓ 1. Ms. Anita Kaul, Joint Secretary (EE.II), Govt. of India, MHRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi-110115.
2. Sh. Satish Nambudiripad, Director, Govt. of India, MHRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi-110115.


Deputy Secretary

रंगलाल जामुना
 एल. ए. ई.
 जामुना
Ranglal Jamuna
 IAS
 Joint Secretary



एन. सी. ई. / Telephone: 28158801
 फ़ैसलाबाद / Fax No: 28158801
 एन. सी. ई. / Tel: 28158801 / 28158802
 एन. सी. ई. / Tel: 28158801 / 28158802
 वेबसाइट: www.nci.gov.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Kendriya Vidyalaya Sangathan

14, मन्मथपुरी लॉड्स / 14, Mansamahi Lodges
 लॉड्स रोड / L.O. Road, Connaught Place
 नई दिल्ली - 110047 / No. 14, New Delhi

D.O. No. F 110331/2/2009-KVSHQ/ACent/

Dated: 8th October, 2009

Dear Sir,

Apropos your D.O. letter No. F.16-3/2009.BE.14 Dated: 16.09.2009, I would like to say that instructions to all Regional Offices of KV S and Kendriya Vidyalayas have already been issued to extend all cooperation to N.UEPA as and when they approach for collecting DISE data. As on date neither N.UEPA nor any State Department has contacted any Kendriya Vidyalaya in this regard. I once again assure you that all Kendriya Vidyalayas will extend maximum cooperation as and when N.UEPA/any State Department approaches any Kendriya Vidyalaya for this purpose.

With regards,

Yours sincerely,

(Ranglal Jamuna)

Ms. Anita Ka-
 Joint Secretary(BE,SI)
 Min. of HRD, Shastri Bhawan,
 New Delhi.

27234153.64.04.8.01
NAVODAYA VIDYALAYA SAMITHI
Ministry of Human Resource Development,
Department of School Education & Literacy
East of India
A-28, Kailash Colony, New Delhi-110048

10-3/2009-EE.14 dated 18.9.09

September 2009

The Deputy Commissioner
Navodaya Vidyalaya Samithi
All Regional Offices

Sub To provide the data to NUEPA authorities regarding Educational Management Information System - reg

Sir/Madam

Enclosed please find a copy of letter No 10-3/2009-EE.14 dated 18th September 2009 from Joint Secretary IEE, Ministry of HRD regarding furnishing of school-wise data on enrolment, physical infrastructure, teachers and students performance being compiled by NUEPA.

You are requested to provide the required information to NUEPA under intimation to this office

Yours faithfully

Encl: As above

(M.S. Khanna)

Joint Commissioner (Pers.)

Copy to

- 1) The Joint Secretary, IEE, Ministry of HRD, Depart. Of School Education & Literacy, Shastri Bhavan, New Delhi for information
- 2) Prof. Anun C. Mehta, NUEPA, 17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110 016 for information

